न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 137/2016 **दायरा दिनांक : 03.08.2016**

उनवान

1– बंशी वल्द मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2– किशन वल्द मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– बदरी वल्द मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– पप्पू वल्द मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5– गीताबाई पुत्री मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6– पानाबाई पुत्री मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7– रामीबाई बेबा मथुरा, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

8– श्यामलाल वल्द धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

9– बद्रीलाल वल्द धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

10– लीलाबाई पुत्री धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

11– चन्दाबाई पुत्री धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

12– भूलीबाई बेबा धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– कल्याण आत्मज मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2– श्रीलाल वल्द मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– दाखां बाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– ललिताबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5– कौशल्याबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6– कालीबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7– भंवरीबाई बेबा मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड मृतक नाम डिलीट आज्ञा दिनांक 18.06.2018

8– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक शाखा हरनावदा शाहजी जिला बारां

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 138 / 2016 **दायरा दिनांक : 03.08.2016**

उनवान

1— श्यामलाल आत्मज धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— बद्रीलाल आत्मज धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— लालबाई पुत्री धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— चन्दाबाई पुत्री धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5— भूलीबाई बेबा धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6— प्रेमबाई पत्नी श्यामलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7— कान्हा पत्नी बद्रीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— कल्याण आत्मज मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— श्रीलाल वल्द मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— दाखाबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– ललिताबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5– कौशल्याबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6– कालीबाई पुत्री मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

7– भंवरीबाई बेबा मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड मृत कनाम डिलीट आज्ञा दिनांक 18.06.2018

8– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक शाखा हरनावदा शाहजी जिला बारां

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.06.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

अपील संख्या 137/2016 उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 40/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 138/2016 उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 39/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 137/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना में नयी खतौनी संख्या 76 पुरानी 78 की आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 463/9 रकबा 8 बिस्वा कुल 9 किता की 11 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादीगण और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है । इस आराजी में वादीगण के पिता मांगीलाल का 1/3 हिस्सा है । मांगीलाल का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस वादीगण है । शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन विवाद होता रहता है । अतः वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 17.06.2016 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 138/2016 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम रामपुरिया, तहसील मनोहरथाना में नयी खतौनी संख्या 71 पुरानी 137 की आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 188 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 477/5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 12 किता की 10 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण के पिता मांगी लाल का 1/3 हिस्सा है । वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण उनके विधिक वारिस हैं । आराजी शामलाती खाते में रहने से आये दिन विवाद रहता है । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर आराजी का विभाजन कर वादीगण का हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 17.06.2016 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपीलांट ने दोनों अपीलों में यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये दावा डिक्री किया है । प्रकरण तलबी में लम्बित थे । तलबी में दिनांक 05.05.2016 की तिथि नियत थी उस दिनांक को पत्रावली पेश नहीं कर पत्रावली दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत में रखी गयी, बिना पक्षकारान की सहमति के दावा डिक्री किया गया । पक्षकारान की तलबी की जाकर

और जवाब लिया जाकर एवं साक्ष्य लेकर ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए तथा सी पी सी की पालना नहीं की गई है । खातेदारों की सहमति के आधार पर ही सहमति डिक्री जारी की जा सकती है । अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की अपीलांट को जानकारी नहीं दी गई । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं थे और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया । सी पी सी की पालना किये बिना दावा डिक्री किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि बंटवारे का दावा था । जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है । अपीलांट ने यह अवगत नहीं कराया है कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय में क्या कमी है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण तलबी में लम्बित था और उसमें दिनांक 05.05.2016 की तिथि दी गई थी । दिनांक 05.05.2016

की कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई । इसको सीधे ही दिनांक 17.06.2016 में रखा गया है । दिनांक 17.06.2016 में लोक अदालत में वादीगण में से कल्याण उपस्थित हुआ है । पत्रावली संख्या 39/दावा/2014 में दिनांक 17.06.2016 की आदेशिका में कल्याण के अलावा बद्री लाल प्रतिवादी नम्बर 2 के हस्ताक्षर हैं । समस्त पक्षकारान न तो उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समस्त पक्षकारान की तलबी किये, बिना वादी के बयान रेकार्ड पर लिये उसी दिन लोक अदालत में दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है ं।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए तलबी कर, जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांटगण के द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की गई है जिसके अनुसार वादिनी भंवरी बाई की दिनांक 2.10.2015 को मृत्यु हो चुकी है और बिना उनके कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिये अथवा उनका नाम डिलीट कर दिनांक 17.06.2016 को निर्णय पारित किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 137/2016 एवं 138/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण संख्या 39/2014 निर्णय डिक्री दिनांक 17.06.2017 व प्रकरण संख्या 39/2014 निर्णय डिक्री दिनांक 17.06.2017 दोनों अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान की तलबी कर, जवाबदावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा